संख्या-1/2024/63 /सैंतालीस-का-1-2024-13(1)/1997

प्रेषक,

डॉ देवेश चतुर्वेदी ,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक 29 जनवरी ,2024**

विषयः- सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायती-पत्रों के निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या-13/1/97-का-1/1997, दिनांक-09 मई,1997 एवं शासनादेश संख्या-13/1/97-का-1/1997, दिनांक -01अगस्त,1997 के माध्यम से निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित की गयी है:-

(i) विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त शिकायती-पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व,सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्ति को पत्र भेजकर यह पुष्टि करा ली जाय कि पत्र उन्हीं के द्वारा हस्ताक्षरित है और शिकायतों के सम्बन्ध में उनका संतोष हो गया है कि शिकायतें तथ्यों पर आधारित हैं |

(ii) अन्य स्रोतों/व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता से इस बारे में एक शपथ-पत्र उपलब्ध कराने तथा शिकायतों की पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा जाय और उनके प्राप्त होने के उपरान्त ही आगे की कार्यवाही की जाय।

2- उपर्युक्त व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट करने का मुझे निदेश हुआ है कि:-

(i) विशिष्ट व्यक्तियों में केवल वर्तमान मा० सांसदों/मा० विधायकों को ही परिगणित किया जायेगा | उक्त के अतिरिक्त विभिन्न संवैधानिक निकायों (Statutory body) के वर्तमान अध्यक्षों को भी विशिष्ट व्यक्तियों में परिगणित किया जायेगा |

(ii) इसी क्रम में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी अन्य शिकायतकर्ता के शिकायती पत्र को उक्तानुसार वर्णित विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा अपने पत्र के माध्यम से अग्रसारित किया जाता है तो ऐसे शिकायतकर्ता से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए शिकायतों की पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की जाएगी।

भवदीय ,
(डॉ देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-1/2024/63(1) /सैंतालीस-का-1-2024-13(1)/1997,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)समस्त विभागाध्यक्ष /प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष ,उ० प्र० शासन |
(2) सचिवालय के समस्त अनुभाग |
(3)गार्डफाइल।

आज्ञा से ,
राजेश प्रताप सिंह
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।